न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 153/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बांरा
दायरा दिनांक 9.11.2020
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

मानसिंह पुत्र हीरालाल जाति भील निवासी बंजारी तहसील छीपाबडौद जिला बांरा।

..... अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बांरा ।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रामरतन मीना अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभिभाषक–रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 22.2.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण संख्य 315/2020 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान मानसिंह बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 27.10.2020 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी द्वारा प्रकरण संख्या 502/2020 किस्म धारा 91 एलआरएक्ट मे दिनांक 21.9.2020 को निर्णय पारित कर अपीलांट को वाकै ग्राम बंजारी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह मे सम्वत 2077 मे ख0 नं0 911/13 रकबा 3 बीधा भूमि पर फसल मक्का की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एंव 150/– रूपये तावान से दण्डित किया गया जिससे अप्रसन्न होकर राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बांरा के यहां की गई जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 27.10.2020 से खारिज कर दिया। उक्त अपील से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील खारिज करने मे त्रुटि की है क्योंकि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया तथा ना ही पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका नही दिया इस कारण परीक्षण न्यायालय का निर्णय काबिल निरस्तनीय था। प्रथम अपीलेट अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर बांरा द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपील खारिज करने मे त्रुटि की है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है तथा

संभागीय आयुक्त
सभा संभाग, कोटा

ना ही पूर्व मे उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया है। पूर्व मे उसे बेदखल भी नही किया गया। अपीलांट ने जुर्माना राशि जमा करवा दी है भूमि पर से काफी समय पूर्व ही कब्जा छोड दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जावे।

4 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सुनी गई।

5 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया तथा ना ही पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया। विवादित आराजी पर अपीलार्थी ने अतिक्रमण नही किया है तथा पूर्व मे ना ही अपीलार्थी को बेदखल किया गया था ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है। जुर्माना राशि जमा करादी है। भूमि पर से काफी समय पूर्व ही कब्जा छोड दिया गया था। उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना ही जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है।

6 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलांट ने सरकारी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का नोटिस दिया है। अपीलांट परीक्षण न्यायालय मे उपस्थित रहा है। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट उक्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी रहा है। प्रकरण सं0 538/19 मे निर्णय दिनांक 30.12.2019 से दण्डित किया जाकर मौके से बेदखल किया है। पुनः सं0 2077 मे अतिक्रमण किया है। अतः पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अपील खारिज की जावे।

7 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/रेकार्ड का अवलोकन किया। ना0 तह0 हरनावदाशाहजी द्वारा अपीलांट को ग्राम बंजारी की सरकारी चारागाह भूमि मे सम्वत 2077 मे ख0 नं0 911/13 रकबा 3 बीघा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एंव 150/– रूपये तावान से दण्डित किया गया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया तथा ना ही पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया। विवादित भूमि पर से काफी समय पूर्व ही कब्जा छोड दिया था। अपीलार्थी उक्त भूमि पर अतिक्रमण नही किया है अतः अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है। जुर्माना राशि जमा करादी है। अपीलार्थी के तर्क के संबध मे परीक्षण एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसी नाममात्र की भी साक्ष्य नही है कि अपीलार्थी ने बेदखली होने के उपरांत किसी चारागाह राजकीय भूमि पर पुनः अतिक्रमण कर लिया हो। नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी ने जो शास्ति अधिरोपित की थी वह अपीलार्थी द्वारा जमा करा दी गई है। यद्यपि नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी को चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को जुर्माना के साथ साथ सिविल कारावास भेजने का दण्ड देने की भी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अधिकारिता थी तो प्रथम दृष्टया नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी के आदेश को तो विधि विरूद्व नही ठहराया जा सकता, परन्तु अपराध के अनुपात मे दण्ड देने का सिद्धान्त है। चुंकि अपीलार्थी ग्राम बंजारी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है उसको यह ज्ञान नही हो सकता था कि अतिक्रमण करने पर सिविल कारावास का भी दण्ड दिया जा सकता है सामान्यतः अतिक्रमी को राजकीय भूमि से बेदखल ही किया जाता है और जुर्माना भी किया जाता है।

8 अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार हमारे मतानुसार अपीलार्थी ने पुनः किसी चारागाह राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही किया है तो सिविल कारावास भेजने के दण्ड मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के संदर्भ मे अनुचित रहेगा, क्योंकि वह अपराध के अनुपात मे दण्ड नही होगा इसलिये परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी का शास्ति अधिरोपित करने का आदेश निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता हैः–

"अगर अपीलार्थी भविष्य मे इस या अन्य किसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करें तो नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद के उक्त आदेशानुसार उन्हे सिविल कारावास का दण्ड भुगताया जावेगा अन्यथा सिविल जेल का दण्ड नही भुगताया जावेगा।"

9 उपरोक्त शर्त के साथ अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

10 निर्णय आज दिनांक 22.2..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा